न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

Aग-751-I-16

प्र0क0 R ....I/15–16 निगरानी

1–रामनिवास पुत्र हरीशंकर गुप्ता

2–श्यामलाल पुत्र हरीशंकर गुप्ता

दोनों जाति वैश्य निवासी मिल एरिया रोड दत्तपुरा मुरैना म0प्र0

......................................आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन....................अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 07/01/2016 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क0 220/12–13 अपील अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि आवेदक गण की ओर से एक आवेदन अधीनस्थ तहसीलदार महोदय मुरैना के समक्ष प्र0क0 11/2010–11 अ–6–अ पर बाबत् राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया कि आवेदक अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ती स्थित मिल एरिया रोड दत्तपुरा मुरैना भवन क0 103 वार्ड क0 19 राजाराम वाली गली दत्तपुरा मुरैना में पूर्वजों के समय से सपरिवार निवास करते चले आ रहे है जो कि संपत्ती नगर पालिका मुरैना सीमान्तर्गत होकर नगर पालिका मुरैना में आवेदक गण के नाम से भवन स्वामी के रूप में इन्द्राज है व समस्त नगर पालिका कर आवेदकगण द्वारा अदा किया जा रहा है।

2– यह कि आवेदकगण के पूर्वज बुद्वाराम पुत्र सीताराम वैश्य द्वारा उपरोक्त एक किता संपत्ती 96 फुट लम्बी, 32 फुट चौडी रजि0 विकय पत्र दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 751– एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
6.4.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 220/अपील/2012–13 में पारित आदेष दिनांक 7.1.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा तहसीलदार मुरैना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रष्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 662 रकवा 19 विस्वा जो कि खसरों में बलराम फौत के नाम दर्ज चला आ रहा है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि को बलराम द्वारा दिनांक 12.8.1931 को निगरानीकर्तागण के पूर्वज बुद्वाराम पुत्र सीताराम को विक्रय कर दी गयी। प्रष्नाधीन भूमि पर बुद्वाराम के वारिसान के नाम इन्द्राज करते हुये निगरानीकर्तागण के नाम नामान्तरण स्वीकार किया जावे । तहसीलदार मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2010 से निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 22.2.2013 से निरस्त कर दी गयी।	

अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागणों के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 220/अपील/2012–13 पर पंजीबद्व हुई । अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा गया। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.1.2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रश्नाधीन भूमि 96 फुट लंबी व 32 फुट चौड़ी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.8. 1931 को विक्रेता बलराम वल्द उमराव से तत्समय खेत नम्बर 494 के अंश भाग को विधिवत क्रय कर निगरानीकर्तागण के पूर्वज बुद्वाराम पुत्र सीताराम वैश्य द्वारा आधिपत्य प्राप्त किया गया था। बुद्वाराम पुत्र सीताराम लावल्द फौत हुये। बुद्वाराम के फौत होने के बाद उक्त सम्पत्ति पर नगर पालिका परिषद मुरैना द्वारा दिनांक 3.8.1956 से मृतक बुद्वाराम के सगे भाई परमानन्द एवं हरीशंकर के नाम इन्द्राज परिवर्तन का ठहराव पारित किया गया। ठहराव अनुसार नगर पालिका मुरैना के पुस्तिका गृह कर में भवन कमांक 43/06 पर बुद्वाराम के स्थान पर परमानन्द एवं हरीशंकर समान भाग पर इन्द्राज हुआ। तहसीलदार मुरैना द्वारा डायवर्सन टैक्स की मांग हरीशंकर व परमानन्द से की गई । नगर पालिका मुरैना द्वारा निरंतर संपत्तिकर व हाउस टैक्स भी परमानन्द व हरीशंकर से मालिकाना हक में भुगतान लिया जा रहा है।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी तर्क पेष किये कि परमानन्द की मृत्यु दिनांक 20.7.77 को लावल्द हो चुकी है । हरीशंकर की मृत्यु दिनांक 22.12.87 को हो चुकी है। श्रीमती रामश्री देवी पत्नी हरीशंकर की भी मृत्यु दिनांक 01.02. 1993 को हो चुकी है। निगरानीकर्तागण के अलावा अन्य कोई वैध वारिस में भाई, भतीजा, पुत्र, एवं पुत्री नहीं है। इस प्रकार बलराम के स्थान पर केता बुद्वाराम की मृत्यु हो जाने के कारण निगरानीकर्ताण के नाम नामांतरण स्वीकार किया जाना था, किन्तु प्रकरण में कोई विवाद की स्थिति न होते हुये अन्य कोई वारिस न होते हुये तहसीलदार मुरैना द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जबकि उनके समक्ष निगरानीकर्तागण द्वारा वे सारे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उन पर बिना विचार किये अपील निरस्त करने में भूल की है।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह तर्क भी प्रस्तुत किये कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम एवं द्वितीय न्यायालयों द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को समझने में भूल की है। तहसीलदार मुरैना द्वारा संहिता की धारा 115, 116 में प्रकरण दर्ज करते हुये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया । प्रथम अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये हैं, जबकि आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 का न होकर सीधे नामांतरण से संबंधित था। विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को आवेदन पत्र में लिखी गई विषयवस्तु को समझना चाहिये था न कि गलत धारा को। इस प्रकार विचारण न्यायालय एवं प्रथम

अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जावें तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्तागण के द्वारा एक आवेदन पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता के स्थन पर क्रेता जो कि मृत हो चुका है, के वारिसानों के नाम इन्द्राज किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के समर्थन में निगरानीकर्तागण द्वारा नगर पालिका परिषद मुरैना के प्रकरण कमांक 05/56–3/11 में आदेश दिनांक 3.8.56 की प्रति प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें मृतक बुद्वाराम के स्थान पर उसके भाई परमानन्द एवं हरीषंकर के नाम इन्द्राज परिवर्तन करने का ठहराव पारित किया गया था। ठहराव अनुसार नगर पालिका मुरैना के पुस्तिका गृह कर में भवन कमांक 43/6 पर बुद्वाराम के स्थान पर परमानन्द व हरीशंकर का नाम समान भाग पर इन्द्राज किया गया। इस आदेश की प्रति निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन भी परमानन्द व हरीषंकर द्वारा कराया गया। डायवर्सन टैक्स भी परमानन्द व हरीशंकर के द्वारा भुगतान किया गया इस संदर्भ में भी तहसीलदार द्वारा डायवर्सन टैक्स मांग पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। नगर पालिका मुरैना द्वारा वर्तमान में भी मालिकाना स्वत्व का भुगतान लिया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों पर बिना विचार किये प्रकरण संहिता की धारा 115, 116 में दर्ज किया जाकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। यदि विचारण न्यायालय द्वारा गलत धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था तो गलत धारा कर देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

वल्कि विचारण न्यायालय को आवेदन पत्र में की गई प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिये था, जो विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा नहीं किया गया। वास्तव में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं था, वल्कि प्रश्नाधीन भूमि पर मृतकों के स्थान पर वारिसानों के नाम नामान्तरण किये जाने का था। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया।

5– अभिलेख को देखने से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि विचारण न्यायालय को आर्डरशीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन पर विचार नहीं किया, केवल पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया गया है, जो अनुचित है। जिस धारा के अन्तर्गत विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये गये हैं वह धारा लागू ही नहीं होती है। मामला गलतशीर्ष में दर्ज हो भी जाये तो तथ्य नहीं बदलते हैं और न ही इस तकनीकी त्रुटि के कारण निगरानीकर्तागण को न्याय से वंचित किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेख करना आवष्यक हे कि प्रश्नाधीन भूमि पर कोई विवाद भी नहीं है अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति भी नहीं है । यदि तकनीकी त्रुटि के कारण निगरानीकर्तागण के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि नहीं की

गई तो अनावश्यक रूप से जटिल समस्या पैदा होगी जबकि नगर पालिका मुरैना से नामांतरण हो चुका है राजस्व अभिलेख में मात्र नाम दर्ज होना है। विचारण न्यायालय को आवेदन पत्र स्वीकार करना था। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी इस बिन्दु पर बिना विचार किये आदेष पारित किये हैं, जो उचित नहीं है ।

6– परिणामतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 7.1.2016 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.2.2013 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2010 अवैधानिक एवं नियमों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाते हैं और प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 662 रकवा 19 विस्वा पर विकेता बलराम के स्थन पर केता बुद्वाराम पुत्र सीताराम के नाम नामांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं चूंकि बुद्वाराम लावल्द फौत हो चुका है, उसके वारिस परमानन्द एवं हरीशंकर पुत्रगण सीताराम के नाम से तथा परमानन्द एवं हरीशंकर भी फौत हो चुके हैं, जिसमें परमानन्द लावल्द फौत हुआ है हरीशंकर के वारिस निगरानीकर्तागण हैं अतः निगरानीकर्तागण के नाम से प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व अभिलेख में तहसीलदार अमल करे। निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य